संख्या:- 1541/1/2004-6(1)/4/2004

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून ।

ऊर्जा विभाग, देहरादून: दिनांक: 21, मार्च, 2005

विषय:- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आय-व्यय विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 44(1)PF I 2004-281 दिनांक 22.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में आयोजनागत पक्ष में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत परिक्षण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ऋण के रूप में रू0 06.00 करोड़ (रू0 छः करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार से ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध ही व्यय किया जायेगा एवं तत्सम्बन्धी योजनाओं की सूची शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय। उक्त व्यय में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।

2- योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन, वित्त विभाग, महालेखाकार एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नियत प्रारूप में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं शासन को ससमय प्रेषित किया जायेगा ।

3- आवश्यक सामग्री का भुगतान संबंधित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त किया जायेगा तथा सामग्री गुणवत्ता के लिये किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जाये जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

4- स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाये और व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं पर किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 अधिकारी जिसके अधीन यह कार्य हो रहा है, ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त स्वीकृत ऋण पर 9.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। ऋण की अदायगी ब्याज सहित 20 बराबर वार्षिक किश्तों में की जायेगी तथा ऋण दिनांक 1-10-2004 को अवमुक्त माना जायेगा।

7- ऋण की 50 प्रतिशत धनराशि के लिये 5 वर्ष की प्रारम्भ में ग्रेस अवधि मान्य होगी, जिसके बाद इसकी 15 बराबर किश्तों में ब्याज सहित अदायगी की जायेगी।

8- प्रतिवर्ष देय किश्त का भुगतान ब्याज सहित प्रतिवर्ष माह जून से मार्च (अगले वर्ष) में 10 बराबर किश्तों में किया जायेगा। मासिक किश्तों की आदायगी प्रत्येक माह की 15वीं तिथि तक माह जून से अगले वर्ष माह मार्च तक की जायेगी।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

..2

10– ऋण की अदायगी नियमित रूप से न किये जाने की दशा में अवशेष मूलधन ब्याज की किश्तों पर 11.75 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज (पेनल) देय होगा।

11– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

12– (अ) प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर सं0, तिथि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजें ।

(ब) किश्तों का भुगतान एवं ब्याज जमा करने की सूचना महालेखाकार कार्यालय को निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें–

1–कोषागार का नाम, 2–चालान सं0, 3–जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4–शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सदर्भ, 5–लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

(स) ऋण संख्या आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

13– स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं–01––एपीडीआरपी योजनान्तर्गत पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को सहायता/ऋण–30–निवेश/ऋण नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 1143/वि0अनु0–3/2004, दिनांक– 29 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या– (1591)/1/2004-6(1)/4/2004,तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
3– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– जिलाधिकारी, देहरादून ।
5– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव